IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित
हमारा प्रयास, आपका आवास

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास

भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अर्न्तगत अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-03, 7ए एवं 10बी में निर्मित (जी+3) प्रकार के भवन

पंजीकरण पुस्तिका

रेरा वेबसाइट : www.up-rera.in

ई-पंजीकरण तिथि 26.01.2026 - 26.02.2026

अवध विहार योजना, लखनऊ

रेरा पंजीकरण संख्या

UPRERAPRJ15287 UPRERAPRJ15315 UPRERAPRJ15312 UPRERAPRJ15294

रेरा संग्रह खाता संख्या - 9010083363218 | भवनों की संख्या - 40

उक्त 40 नग भवनों में से 28 नग भवन वरिष्ठ नागरिक (सामान्य) हेतु एवं 11 नग भवन अनुसूचित जनजाति व 01 नग भवन अनुसूचित जनजाति (दिव्यांग) हेतु आरक्षित हैं।

Toll Free No:- 18001805333 जन सुविधा केन्द्रः- 0522-2236803

UPHDBHQ www.upavp.in info@upavp.com

उद्देश्य –

- ❖ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास शुद्ध पेय जल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति की सुविधाओं के साथ पक्का मकान होगा।
- ❖ भारत के मा0 प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्र की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूर्ण होने पर सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की परियोजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के विभिन्न घटकों में से ''भागीदारी में किफायती आवास'' (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विभिन्न जनपदों में संचालित परिषद की आवासीय योजनाओं में (जी+3 प्रकार) चार मंजिले भवनों को, प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है।
- ❖ **उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का परिचय :** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यो में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

भवनों/फ्लैटों की योजना के मुख्य आकर्षण–

1. **सुपर एरिया – 34.07 वर्ग मीटर।**
2. **कारपेट एरिया – 22.77 वर्ग मीटर।**
3. दो कमरा, एक किचन स्पेस, एक बाथरूम, एक शौचालय एवं बालकनी।
4. **रु0 5,000/–**(रुपये पांच हजार मात्र) देकर फ्लैट/ भवन का पंजीकरण कराया जा सकता है।
5. **प्रति भवन की कुल लागत – रु0 6.00 लाख**
6. **केन्द्र सरकार का अंशदान – रु0 1.50 लाख**
7. **राज्य सरकार का अंशदान – रु0 1.00 लाख**

   सरकार का कुल अंशदान योग – रू0 2.50 लाख
8. चयनित पात्र लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि रु0 3.50 लाख प्रति भवन/फ्लैट।
9. पात्रता चयन में सफल आवेदकों को प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह के भीतर 10 प्रतिशत धनराशि रु0 35,000/–एकमुश्त जमा करने के उपरान्त एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कब्जा प्रदान किया जाएगा तथा पंजीकरण धनराशि रू0 5,000/–समायोजित करने पर शेष धनराशि रू0 3,10,000/– (रूपया तीन लाख दस हजार) 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 15 वर्षों की 180 मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा अनुमन्य होगी। भवन के कुल मूल्य (रू0 3.50 लाख) का प्रदेशन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

पंजीकरण हेतु फ्लैट/भवनों का विवरण–

क्रम सं०	योजना / शहर का नाम	फ्लैटो/ भवनो की संख्या (जी+3)	सुपर एरिया (वर्गमी०)	कार्पेट एरिया (वर्गमी०)	प्रति फ्लैट/ भवन की कुल लागत (रू० लाख में)	भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जानें वाली धनराशि (रू० लाख में)	लाभार्थी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि (रू० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रू० में)	एकमुश्त देय धनराशि (रू० में)	शेष धनराशि (रू० में)	फ्लैट/भवन हेतु 15 वर्षों में देय मासिक किश्तों का विवरण	
											किश्तों की संख्या	मासिक किश्त (रू० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अवध विहार योजना, लखनऊ	40	34.07	22.77	6.00	2.50	3.50	5,000	35,000	3,10,000	180	3237

नोट–उक्त के अतिरिक्त रू0 7872 विविध शुल्क के रूप में देय होगा।

Rera registration details :-

S.No	Project Name	Project Registration number	Rera completion date
1	अवध विहार योजना, लखनऊ	UPRERAPRJ15287	परियोजना पूर्ण
		UPRERAPRJ15315	परियोजना पूर्ण
		UPRERAPRJ15312	परियोजना पूर्ण
		UPRERAPRJ15294	परियोजना पूर्ण

STEP OF DRAW

अवध विहार योजना जनपद लखनऊ स्थित मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 40 नग भवनों का आरक्षण अनुसार।

क्र.स.	आरक्षण श्रेणी	उपलब्ध सम्पत्ति	पंजीकृत आवेदकों की संख्या	आरक्षण में सामान्य फ्लैटों की संख्या	आरक्षण में सामान्य आवेदकों की संख्या	हॉरिजेन्टल आरक्षण							
						समाज के दिव्यांगजन व्यक्ति (5 प्रतिशत)		विधवा/एकल महिला (8 प्रतिशत)		उभय लिंगी (0.5 प्रतिशत)		वरिष्ठ नागरिक (10 प्रतिशत)	
						उपलब्ध फ्लैटों की संख्या	उपलब्ध आवेदकों की संख्या	उपलब्ध फ्लैटों की संख्या	उपलब्ध आवेदकों की संख्या	उपलब्ध फ्लैटों की संख्या	उपलब्ध आवेदकों की संख्या	उपलब्ध फ्लैटों की संख्या	उपलब्ध आवेदकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुसूचित जाति	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0
2	अनुसूचित जन जाति	12	0	11	0	1	0	–	0	–	0	–	0
3	अन्य पिछडा वर्ग	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0	–	0
4	सामान्य	28	0	–	0	–	0	–	0	–	0	28	0
	कुल	40	0	11	0	1	0	0	0	0	0	28	0

नोट: उक्त आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही प्राप्त आवेदन को लाटरी ड्रा में सम्मिलित किया जायेगा, अन्य आरक्षण श्रेणी में प्राप्त आवेदन मान्य नही होंगे।

मा0 प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु निर्धारित भवन का प्रकार

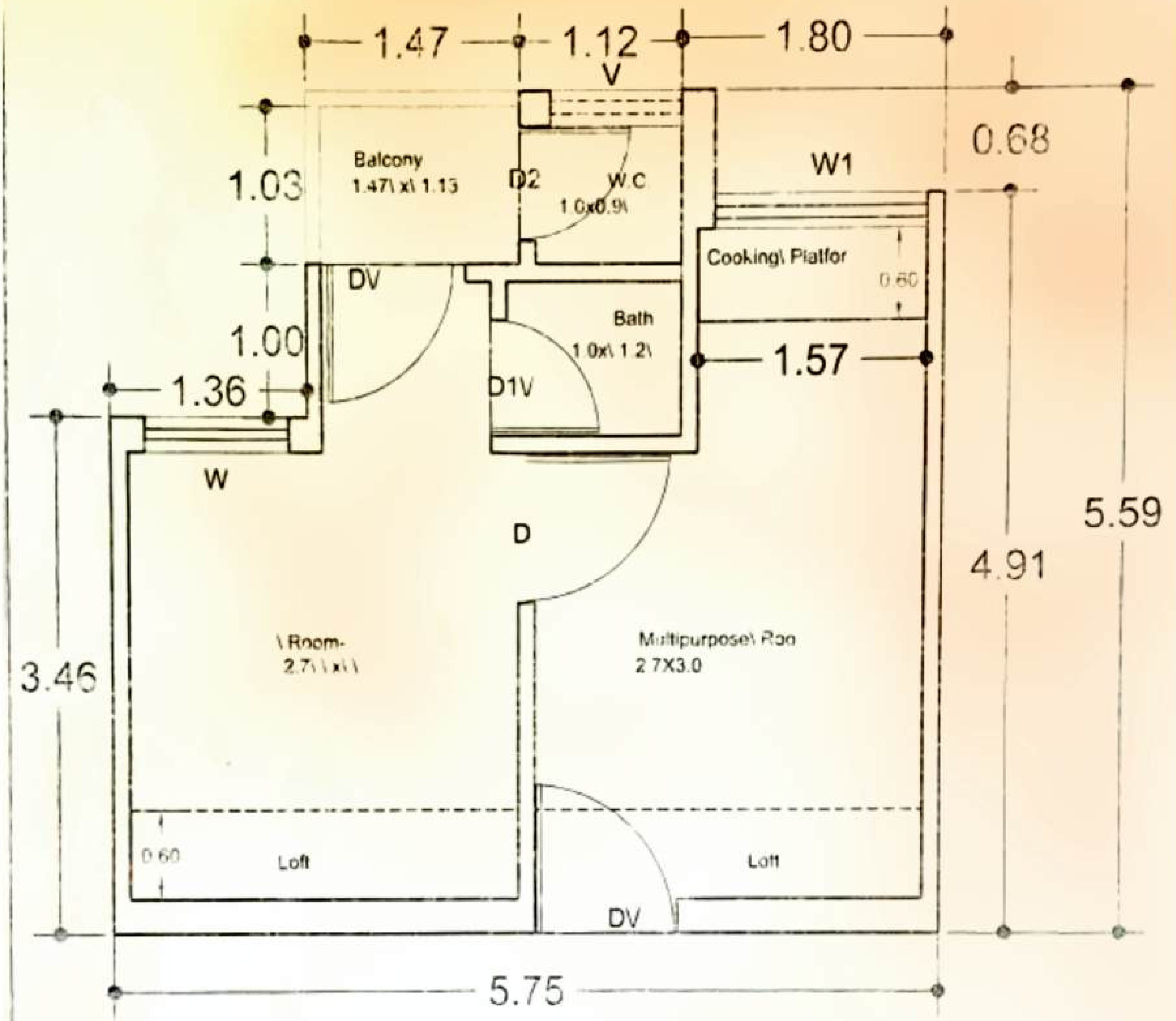

UNIT PLAN

CARPET\ AREA\ =22.77\ SQ
SUPER\ AREA\ OF\ ONE\ UNIT\ =\ 34.
HT.\ FLOOR\ TO\ CEILING\ =2

OPENING:-

S.N.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARKS
1.	DV	900	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
2.	D1V	750	2700	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
3.	D	900	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
4.	D1	750	2100	ANGLE\ IRON\ SINGLE\ LEAF\
5.	W	1200	1200	Z-SECTION\ SINGLE\ 3\ LEAF\ WITH\
6.	W1	1000	1050	Z-SECTION\ SINGLE\ 2\ LEAF\ WITH\
7.	V	600	600	Z-SECTION\ SINGLE\ LEAF\ WITH\ G

BLOCK\ PLAN\ F
PM\ AWAS\ \ YO

पंजीकरण हेतु पात्रता :–

1. आवेदक भारत का नागरिक हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो।
2. आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक के अन्तर्गत पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
3. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
4. वरिष्ठ नागरिक से यह तात्पर्य है कि आवेदन करते समय आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम न हो।
5. दुर्बल आय वर्ग श्रेणी के भवनो हेतु अधिकतम रू0 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे। आवेदनकर्ता को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. लाभार्थी परिवार में पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
7. आवेदक के पास उसके नाम से अथवा उसके परिवार (पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे) के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम रिहायसी इकाईयाँ) नही होनी चाहिए।
8. आरक्षित/दिव्यांग श्रेणी के लाभार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. पंजीकरण परिवार की महिला मुखिया अथवा परिवार के पुरूष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई व्यस्क महिला सदस्य नहीं है, परिवार के पुरूष मुखिया के नाम पंजीकरण किया जा सकता है।
10. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।
11. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जाएगी।

विशेष नोट :–

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली–भॉति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। अधूरा एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. पंजीकरण/आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के निर्गत आदेश/दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।
3. भवनों की सीलिंग कास्ट बढ़ाये जाने एवं अनुदान दिये जाने की धनराशि के संबंध मे शासनादेश में संशोधन/पुनरीक्षित आदेश बाध्यकारी होंगे।
4. योजना से संबंधित किसी भी बिन्दु पर विवाद की स्थिति मे, आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, का निर्णय अंतिम होगा।
5. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में दिये जाने वाले सभी दिशा निर्देश मान्य होंगे।
6. आवंटन के पश्चात परिषद में अन्य प्रचलित शर्ते/नियम समय–समय पर परिषद अथवा शासन द्वारा इनमें किए गए संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
7. आरक्षण वार उपलब्ध सम्पत्तियों की संख्या का 10 प्रतिशत तक आवेदको की प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी।
8. आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त तीन महीने के अंदर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर अपने खर्च पर परिषद द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अनुबन्ध/पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत

कराना अनिवार्य होगा अन्यथा परिषद द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

9. **प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।**

पंजीकरण/चयन हेतु नियम व शर्ते –

1. सम्पत्ति का अंतिम मूल्य अनुमानित मूल्य से अधिक बढ़ता है तो, मूल्य एवं अंतिम मूल्य के अन्तर धनराशि अनुबन्ध/पट्टा विलेख से पूर्व देय होगी।
2. आवेदन **ऑनलाइन** माध्यम से किये जायेंगे।
3. परिषद द्वारा सूचित अवधि में सम्पत्ति का अनुबन्ध/पट्टा विलेख न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब शुल्क/रख–रखाव शुल्क रू0 10/– प्रति माह देना होगा, तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम छः माह तक कब्जा न लेने पर आवास आयुक्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को भवन का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. विकसित योजना की सेवाओं को स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख रखाव परिषद द्वारा किया जाएगा।
5. सामान्यतः भवनो का तल परिवर्तन अनुमन्य नही होगा।
6. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नही होंगे। ऐसे लाभार्थी का आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
7. आवेदक के आवेदन पत्र सूडा से सत्यापन के उपरान्त ही पात्रता की श्रेणी में अनुमन्य होंगे।
8. आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् चयनित पात्र लाभार्थियों के नाम परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित किये जायेगें।
9. पंजीकरण के उपरान्त पात्र आवेदको के मध्य सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से नियमानुसार आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में (NEFT/RTGS के माध्यम से) वापस कर दी जायेगी।
10. पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।
11. यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी।
12. यदि भवन हेतु चयनित आवेदक/आवंटी द्वारा मांग पत्र/आवंटन पत्र के जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर सम्पत्ति के निरस्तीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत तथा 03 माह के बाद आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुए शेष धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से वापस कर दी जाएगी तथा सम्पत्ति आगामी पंजीकरण में लगा दी जाएगी। इस शर्त का उल्लेख आवंटन पत्र मे भी किया जाएगा।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर प्रभारित कर यथा–जी0एस0टी0, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
14. आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन के शेष धनराशि रू0 3,10,000/–(तीन लाख **दस** हजार मात्र) पर 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 15 वर्ष (180 **मासिक** किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा।

(A) सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/माँग पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 वर्ष की 180 मासिक किश्ते 9.50% ब्याज की दर के अनुसार देय होगी।

(B) किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर 9.50% ब्याज की दर के साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा।

15. उ0प्र0 भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के पूर्व भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
16. फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रूपया 500 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
17. आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त,(कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय समय पर जारी शासनादेश के अनुसार) रू0 500/– स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
18. भवनों के आवंटन के उपरान्त 05 वर्ष तक भवन का विक्रय नही किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत उक्त शर्त का इस सीमा तक शिथिलीकरण किया जाता है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा उक्त भवन के लिए दिये गये ऋण को वसूली हेतु बंधक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय हेतु उक्त प्रतिबन्ध लागू नही होगा। नीलामी/विक्रय राषि से शासकीय सब्सिडी भी वसूली जायेगी।

आरक्षण :–

उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1022/आठ–1–18–93विविध/2018 दिनांक 11.07.2018 के क्रम मे, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनो में "वरीयता नीति" व्यवस्था निम्नानुसार की गई है–

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्र.स.	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता
1	अनुसूचित जाति	21%
2	अनुसूचित जनजाति	02%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%

(ब) हारिजेंटल वरीयता

क्रम सं०	श्रेणी	हारिजेंटल वरीयता	कोड
1	दिव्यांगजन	05%(वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)	D
2	विधवा/एकल महिला	08%	W
3	उभयलिंगी (Transgender)	0.5%	T
4	अल्प संख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है।	M
5	वरिष्ठ नागरिक	10%(वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)	S

- आरक्षण के लिये सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- संबंधित आरक्षण श्रेणी का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा मे आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट–1 :– परिषद कार्यालय आदेश संख्या–07/दिनांक 09.02.2023 के प्राविधानान्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 11.07.2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) में भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में वरीयता नीति निर्धारित की गयी है, जिससे सभी श्रेणी को लाभ मिल सके। यदि पर्याप्त अवसर (न्यूनतम् तीन अवसर) प्रदान किये जाने के बाद भी किसी श्रेणी के पात्र लाभार्थी उपलब्ध नही होते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित कर दिया जायेगा, जिससे कि निर्मित भवन अप्रयुक्त न रह जाये।

आवंटन:–

1. आवेदकों की सूची सूडा कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं सूडा कार्यालय द्वारा सूची का भौतिक सत्यापन करते हुये वेलिडेटेड सूची, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उपलब्ध कराई जाएगी। वेलिडेटेड सूची के आवेदकों को ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा। असत्यापित आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे।
2. सभी पात्र आवेदकों की एक समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए लॉटरी की जायेगी।
3. लाभार्थियों का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। लाटरी कुल भवनों की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों (यदि उपलब्ध हो) हेतु की जायेगी। उक्त 10 प्रतिशत की संख्या के लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करते हुए वास्तविक चयनित लाभार्थियों में से डिफाल्टर (यदि कोई हो) लाभार्थियों का आवंटन निरस्त करते हुए प्रतीक्षा सूची में अंकित लाभार्थियों को क्रमवार डिफाल्टर लाभार्थियों के भवन नियमानुसार आवंटित कर प्रदेशन पत्र निर्गत किया जायेगा।
4. लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर उपलब्ध होगा।
5. आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।
6. आवंटी विद्युत कनेक्शन, संबंधित विभाग से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।
7. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी विनियम यथासंशोधित–2016 के नियम प्रभावी होगें। परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. भविष्य में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संबंध में लिये गये निर्णय, आवेदक द्वारा मान्य होंगे।

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा मे:–

- पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड के आधार पर उत्तराधिकारियों का नाम परिवर्तित किया जाएगा। यदि किसी एक के नाम के पक्ष में परिवर्तन कराया जाना है तो अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्ते पूरी करता हो।

भवनों का कब्जा:—

1. भवन पूर्ण निर्मित हैं। अतः भवनो का कब्जा आवंटी द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त हस्तगत किया जाएगा।
2. परिषद द्वारा सूचित अवधि में अनुबन्ध न कराने एवं भवन का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब/रख–रखाव शुल्क प्रति माह देय होगा।
3. योजना की सेवाओं का स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण होने तक उनका रख–रखाव विकासकर्ता/परिषद द्वारा किया जायेगा। योजनान्तर्गत निर्मित भवनों में कामन सुविधाओं के रख–रखाव हेतु उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट अधिनियम 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। विकास कर्ता द्वारा भवन के नियमित अनुरक्षण हेतु भवन के निर्धारित मूल्य की 01 प्रतिशत की धनराशि का अनुरक्षण फण्ड तथा वृहद एवं आकस्मिक अनुरक्षण कार्यो हेतु भवन के निर्धारित मूल्य के 01 प्रतिशत धनराशि कारपस फण्ड बनाया जायेगा। उक्त दोनों फण्ड में संपूर्ण धनराशि का योगदान लाभार्थियों द्वारा किया जायेगा। उक्त धनराशि भवन के सामान्य मूल्य के अतिरिक्त होगी। उक्त भवनों के पूर्ण होने के उपरान्त प्रथम कब्जे की दिनांक से अधिकतम 05 वर्ष तक परिषद द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा। 05 वर्ष से पूर्व आर.डब्लू.ए. का गठन हो जाने की स्थिति में साझा क्षेत्रों एवं सामूहिक सुविधाओं का हस्तान्तरण होने के पश्चात अनुरक्षण फण्ड एवं कारपस फण्ड की अवशेष धनराशि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को हस्तगत कर दी जायेगी।
4. किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उक्त भवनों के लिये दिये गये ऋण की वसूली हेतु बन्धक रखे गये भवन की नीलामी/विक्रय किया जा सकेगा, किन्तु नीलामी/विक्रय से प्राप्त धनराशि से सर्वप्रथम शासकीय सब्सिडी की वसूली की जायेगी। तत्पश्चात बैंक द्वारा अपने ऋण की वसूली की जायेगी। उपरोक्त दोनों धनराशि की वसूली के पश्चात कोई धनराशि बचती है तो वह धनराशि परिषद को वापस हो जायेगी। निर्माण के उपरान्त लाभार्थी के पक्ष मे औपचारिकताये पूर्ण कराते हुये एवं पंजीकरण अनुबन्ध निष्पादित कराते हुये कब्जा दिया जायेगा। 5 वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा उक्त इकाई का उपयोग स्वयं हेतु नही किया जाता है, तो आवंटन निरस्त करते हुये उक्त इकाई परिषद में निहित हो जायेगी तथा आवंटी को कोई धनराशि देय नही होगी।

रेरा संग्रह खाता का विवरण

	योजना/शहर का नाम	बैंक एवं बैंक अधिकारी का नाम		बैंक का पता एवं मोबाइल नं०			
		BANK NAME	NAME OF BRANCH MANAGER	MOBILE NO.	ADDRESS	RERA COLLECTION ACCOUNT NO.	IFSC CODE
1	अवध विहार योजना लखनऊ।	Axis bank	Rahul Nigam	9554476691	Pragati kendra Kapoorthala Lucknow	9010083363218	UTIB0001692

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

- आवदेन पत्र मात्र ऑनलाईन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे एवं आवेदको को पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 100 के साथ 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित रू0 118 आनलाइन जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है, जिसमें आवेदक द्वारा खाते का विवरण (खाता संख्या, बैंक का नाम एवं शाखा तथा आई.एफ.एस.सी. संख्या) अंकित करना अनिवार्य है। सार्वजनिक लाटरी में असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण की धनराशि की वापसी आवेदक द्वारा दिये गये बैंक खाते में नियमानुसार की जायेगी।
- आवेदन पत्र में वांछित सूचना यथा आरक्षण एवं अन्य से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज आवेदन पत्र मे संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक लाटरी से एक सप्ताह पूर्व परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आवेदनकर्ताओं की सूची प्रदर्शित होगी।

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने हेतु विशेष नोट

- **योजना की विवरणिका / ब्रोशर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट UPAVP.IN पर उपलब्ध है। कृपया ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने से पूर्व निम्नवत सूचना / प्रपत्र अपने साथ अवश्य रखें।**

चेकलिस्ट-

1- **आवेदक का आधार संख्या, स्वंहस्ताक्षरित आधार प्रपत्र की प्रति अपलोड करने हेतु साथ रखे।**

2- **मोबाइल नम्बर**

3- **यदि वर्टिकल आरक्षण श्रेणी में है तो अपनी आरक्षण श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।**

4- **आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी फार्मेट में अपलोड करने हेतु साथ रखें।**

5- यदि आवेदक दिव्यांगजन श्रेणी (क्षैतिज आरक्षण श्रेणी) के अन्तर्गत है तो दिव्यांगजन श्रेणी का प्रमाण–पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।

6- आय प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु साथ रखें।

7- बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड) जिसमें असफल आवेदक को पंजीकरण राशि वापस की जायेगी।

8- पति/पत्नी का आधार संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें।

9- पिता/माता का आधार/मतदाता पहचान पत्र/कोई अन्य विशिष्ट पहचान पत्र संख्या अपलोड करने हेतु साथ रखें। अविवाहित पुरूष/अविवाहित महिला के लिये अनिवार्य है।

नोट– सुझाव है कि आप ऑनलाइन फार्म भरने से पहले खाली फॉर्म का प्रिंट आउट लें और विवरण भरें ताकि कोई गलती न हो।

Checklist :-

1. Aadhar no. (Self-attested Adhaar Card copy to be uploaded online)
2. Mobile number
3. If you belong to Vertical Reservation Category please keep a copy of certificate of your Category (Schedule caste, Schedule tribe or Other Backward Class) to be uploaded online
4. Recent Passport size photograph-to be uploaded online in JPEG format
5. If you belong to Disabled Category (Horizontal Priority Category) please keep a copy of certificate to be uploaded online.
6. Income certificate to be uploaded online
7. Bank account Details (Bank account number and IFSC Code) for Refund to the unsuccessful applicants.
8. Aadhar Number of Spouse (if Married)
9. Father's/mother's Aadhaar/voter ID/any other specific identification number for upload.
10. Aadhaar Card, if not available Voter ID Card/Any other unique identification number of Father/Mother (Required in case of Unmarried Man/Unmarried Woman)

Note:- We suggest you to take a print out of the blank form and fill in the detail before filling online to avoid any mistakes.

आनलाइन भरे जाने वाले आवेदन पत्र का प्रारूप

Name (As in Aadhar) / नाम (जैसा आधार कार्ड मे दर्ज है)______________________________

Aadhar Number / आधार संख्या______________________________

Mobile Number/मोबाइल नंबर______________________________

Age/उम्र ______________________________

Gender/लिंग______________________________

☐Male (पुरूष) ☐Female (महिला) ☐Transgender (उभयलिंगी)

Marital Status (वैवाहिक स्थिति)

☐Married (विवाहित) ☐Unmarried (अविवाहित)

☐Single Woman/ Widow (एकल महिला/विधवा)

Father/Mother Name पिता/माता का नाम)

Upload Applicant Photo/आवेदक का फोटो अपलोड करें

☐

Upload Applicant Signature / आवेदक का हस्ताक्षर अपलोड करें ☐

Upload Aadhar Card / आवेदक का आधार कार्ड अपलोड करें ☐

Category Details

Religion/ धर्म

☐Hindu (हिन्दू) ☐Muslim (मुस्लिम) ☐ Christian (ईसाई) ☐Jain (जैन)
☐ Buddhist (बौद्व) ☐Sikh (सिख) ☐Parsi (पारसी) ☐Others (अन्य)

Reservation Vertical Category / वर्टिकल आरक्षण वर्ग/श्रेणी

☐General (सामान्य) ☐Other backward Class (अन्य पिछ़डा वर्ग)

☐Schedule Caste (अनुसूचित जाति) ☐Schedule Tribe (अनुसूचित जनजाति)

Upload caste certificate /जाति प्रमाण–पत्र अपलोड करें

क्लिक करके फाइल चुनें

Horizontal Category/हॉरीजॉन्टल वर्ग/श्रेणी

☐Differently Abled (दिव्यांगजन) ☐Widow/Single Female (विधवा/एकलमहिला)

☐Transgender (उभयलिंगी) ☐Minority (अल्पसंख्यक)

☐Senior Citizen (वरिष्ठ नागरिक) ☐None (कोई नही)

Upload relevant certificate/संबंधित प्रमाण–पत्र अपलोड करें ☐

Annual Income of the Applicant /आवेदक की वार्षिक आय ☐

Upload income certificate/ आय प्रमाण पत्र अपलोड करें ☐

क्लिक करके फाइल चुनें

Bank Details for Refund

Refund Account Number / रिफंड खाता संख्या..

Re-Enter Refund Account Number/ खाता संख्या पुनः भरें ....

IFSC Code /आई.एफ.एस.सी. कोड ....

Bank Name / बैंक का नाम ....

Branch Name / बैंक शाखा का नाम ....

Current Address / आवेदक का वर्तमान पता

Address Line 1 ....

Address Line 2 ....

City ....

Pincode ....

State ....

☐ **Permanent Address same as Current Address**

Permanent Address/*आवेदक का स्थायी पता*

Address Line 1 ....

Address Line 2 ....

City ....

Pincode .... State ....

House & Family Details

Ownership Details of existing house/ *मौजूदा मकान का विवरण*

☐Own / *स्वयं का*

☐Rent / *किराये का* ☐Others *अन्य*

House Type based on roof type/*मकान का प्रकार*

☐Pucca (CC & Stone Slab) / *पक्का (सीमेंट एवं पत्थर स्लैब)*

☐Semi Pucca (Asbestos /Steel Sheet/Tiled / *अर्धपक्का* (*एस्बेस्टस/स्टीलशीट/टाइल*)

☐Katcha (Grass/Thatched,Tarpaulin, Wooden) / *कच्चा (घास, फूस, तिरपाल, लकड़ी)*

No. of years of Stay in this city/town ?

☐ 0 to 1 (*0 से 1 वर्ष*) ☐1 to 3 (*1 से 3 वर्ष*) ☐3 to 5 (*3 से 5 वर्ष*)

☐ More than 5 Years (*5 वर्ष से ज्यादा*)

Whether any family member of the applicant owns any pucca house anywhere in India ? *क्या आवेदक के किसी परिवार के सदस्य के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान है ?*

☐Yes ☐No

Employment Status/रोजगार की स्थिति

☐Self Employed (स्व–नियोजित) ☐Salaried (वेतन भोगी)

☐Labour (श्रमिक) ☐Regular Wages (नियमित वेतन)

☐Others (अन्य)

Email (optional) / ई–मेल ____________________

Does family have a BPL Card ? / क्या परिवार BPL कार्ड धारक है ?

☐ Yes ☐ No

Nominee Details

Nominee Name / नामिनी का नाम ....

Nominee Aadhar / नामिनी का आधार ....

Relation of Nominee with Applicant / नामिनी का आवेदक से संबंध

☐Father पिता ☐Mother माता ☐Husband पति

☐Wife पत्नी ☐ Son पुत्र ☐Daughter पुत्री

☐Other अन्य

Annual Income / वार्षिक आय ....

Upload Affidavit / शपथ पत्र अपलोड करें :–

क्लिक करके फाइल चुनें

I (), hereby declare that all information provided by me in this application form is true, correct and complete to the best of my knowledge. I understand and agree that if any information furnished by me is found to be false, incorrect, or misleading at any stage, my allotment is liable to be cancelled without any further notice.

I further confirm that I shall abide by all rules, terms, and conditions laid down by the authority regarding the allotment process as mentioned in the brochure booklet.

मैं (), यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन फॉर्म में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं समझता/समझती हूँ और सहमत हूँ कि अगर किसी भी चरण में मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत, असत्य या भ्रामक पाई जाती है, तो मेरा आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर करे

भुगतान प्रक्रिया / Payment Mode

- Please tick to select the Payment Mode / भुगतान हेतु विकल्प पर क्लिक करें।
- NET banking / Debit Card / Credit card / UPI / NEFT
- Please submit to print the online receipt of payment (ऑनलाइन भुगतान के उपरांत ऑनलाइन रसीद हेतु सबमिट करें।)
- Payment can also be done through NEFT. Applicant need to visit his Bank (where he/she has his/her Account) for the fees payment through NEFT along with Challan. A copy of Challan will be generated on selection of offline mode. Please print a copy of the challan & provide this to your bank for payment. (भुगतान नेफ्ट द्वारा किया जा सकता है। भुगतान विकल्प चुनने पर एक चालान की प्रति सृजित होगी, जिसे प्रिंट कर लें। चालान की प्रति भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करे। नेफ्ट / चालान से भुगतान हेतु अपने बैंक (जिस बैंक में खाता है) में प्रस्तुत करे। आपके बैंक से उक्त धनराशि दो से तीन दिन में प्राप्त होगी।)
- After successful payment a confirmatory SMS shail be sent to the registered mobile number of the applicant / सफल भुगतान होने के उपरान्त आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पुष्टि हेतु एक एस0एम0एस0 प्रेषित किया जायेगा।

रू0 100/–के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
<u>शपथ–पत्र</u>

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...उम्र...............................वर्ष............
............पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी...
शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ:

1. मैं एतद्द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी योजना के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। तथा मेरे या मेरे परिवार के नाम भारत वर्ष अथवा उ0प्र0 राज्य के अन्य किसी नगर/शहर में कोई भी भवन/भूखण्ड नहीं है।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से (जी+3) प्रकार के भवन के मूल्य में वृद्धि होगी तो उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूगाँ/करूँगी।
5. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती/सुश्री....... जो रिश्ते में मेरे/मेरी...................... हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करती/करता हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम मे श्री/श्रीमती/सुश्री....... ....जो मेरे/मेरी ....हैं एवं खून के संबंधी हैं, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
6. मै पंजीकरण पुस्तिका का भलीभाति अध्ययन करने के उपरान्त निर्दिष्ट समस्त शर्तो/प्रतिबन्धो का अनुपालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को मेरा आवंटन निरस्त करने एवं पंजीकरण धनराशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. मेरे द्वारा आवेदन पत्र मे स्वयं का खाता संख्या/बैंक/शाखा अंकित किया गया है वह संचालित रहेगा।
8. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष .... में समस्त श्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रू0 3,00,000 से अधिक नही थी) जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

<u>घोषणा–</u>

1. मैं एतद्द्वारा शपथ बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 8 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में सरकार/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कोई भी दिशा निर्देश दिये जाते हैं तो वह मेरे द्वारा मान्य होंगे।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

भवनो का विवरण-

क्र0सं0	जोन का नाम	जनपद/ स्थल का नाम	सी.एस.एम.सी. से स्वीकृत भवनों की संख्या	रू0 6.00 लाख के विक्रय मूल्य पर पंजीकरण हेतु प्रस्तावित भवनो की संख्या
1.	2	3	4	5
1	लखनऊ जोन	अवध विहार योजना, लखनऊ	4752	40

परिषद अधिकारियों का विवरण

क्र0 सं0	योजना/ शहर का नाम	जोनल अधिकारी का नाम	जोनल अधिकारी का मोबाइल नं0	सम्पत्ति प्रबन्धक का नाम	सम्पत्ति प्रबन्धक का मोबाइल नं0	अधिशासी अभियन्ता का नाम/ मोबाइल नं0	अधीक्षण अभियन्ता का नाम/ मोबाइल नं0
1	अवध विहार योजना, लखनऊ।	श्री चन्दन कुमार पटेल उप आवास आयुक्त	8189081005	श्री मुकेश पाल	8795810970	श्री आई0पी0 गौड़ नि0 ख0 लखनऊ–09 मो0–8795811729 श्री अभिषेक नाथ तिवारी नि0 ख0 लखनऊ–08 मो0–8795811677 श्री नगेन्द्र सिंह नि0 ख0 लखनऊ–07 मो0–8795811721 श्री अभिषेक नाथ तिवारी नि0 ख0 लखनऊ–06 मो0–8795811677	श्री समर उपाध्याय, मो0–8795810183

परिषद में ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन–सुविधा केन्द्र की स्थापना की है, जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं।

☎ डायल करें: 1800–180–5333 (टोल फ्री)
0522–2236803

IS 15700:2018
सेवोत्तम प्रमाणित

हमारा प्रयास, आपका आवास

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com

Toll Free No.: 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 09:30 बजे से सांय 06:00 बजे तक उपलब्ध है।